

ई-मेल/आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

संख्या-18-233(एस0आई0-लेखा)-2024

दिनांक: लखनऊ: मार्च 07 2024

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।

विषय: भर्ती/चयन वर्ष 2024-2025 (01-07-2024 से 30-06-2025) की सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) से पुलिस निरीक्षक (लेखा) पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही हेतु अद्यावधिक चरित्र पंजिका, 48 बिन्दु के निर्धारित नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 में त्रुटिरहित सूचना एवं स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या-संख्या-18-233(एस0आई0-लेखा)-2023 दिनांक 11-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 233 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> में 'Police Units-Police Hqrs -PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment' पर upload कर, पदोन्नति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. दिनांक 11-07-2023 को प्रकाशित पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) की अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्राप्त, सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, मृत, पदच्युत इत्यादि पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) का नाम पृथक करते हुए सेवाभिलेख अद्यावधिक करते हुये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया दिनांक 11.07.2023 को प्रकाशित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के 233 कार्मिकों की सूची में से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति प्राप्त, सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, मृत, पदच्युत कार्मिकों का नाम पृथक करते हुए पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के 45 कार्मिकों की सूची संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों की नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई का यह दायित्व होगा कि वह उस जनपद/इकाई को संबंधित कर्मी की चरित्र पंजिकाओं को अद्यावधिक कराने, निर्धारित नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 के 48 कालम में सूचनायें त्रुटि रहित अंकित कराने के साथ ही स्वघोषणा पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही दिनांक 31.03.2024 तक निम्नानुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें:-

- (1) चयन वर्ष 2024-25 के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 01-07-2024 होगी। चयन वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) के वार्षिक मन्तव्य अंकित होना अनिवार्य है।
- (2) चयन वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) में सत्यनिष्ठा अंकित करना अनिवार्य है। दीर्घ दण्ड नियम 14(1) पोषक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से सेवाभिलेख उपलब्ध कराने की तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है। लघु दण्ड नियम 14(2) पोषक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से सेवाभिलेख उपलब्ध कराने की तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

- (3) कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत किसी भी आपराधिक अभियोग में प्रेषित आरोप पत्र संख्या, अन्तिम रिपोर्ट संख्या के साथ माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने की तिथि तथा माननीय न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि अभियोग विवेचनाधीन है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- (4) बोर्ड प्रपत्र में सभी हस्ताक्षरकर्ता के नाम/पदनाम/हस्ताक्षर मुहर दिनांक सहित अंकित होना अनिवार्य है।
- (5) पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के कार्मिकों का बोर्ड प्रपत्र तैयार करते समय चेक लिस्ट को अवश्य ध्यान में रखा जाय, जिससे निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र त्रुटि रहित तैयार हो सके और सेवाभिलेख एवं बोर्ड प्रपत्र इस मुख्यालय के परीक्षणोपरान्त पुनः उसे सही करने हेतु वापस करने की सम्भावना लेशमात्र न रहे।
- (6) नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 में सूचनाएं ए-3 साइज के पेपर (29.7 X 42.2 CM) पर तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-16 में सूचनाएं लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी। बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश संलग्न किया जा रहा है, उसमें दिये गये निर्देशों का भलीभाँति परिशीलन कर बोर्ड प्रपत्र तैयार किया जाये।
4. पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) की संलग्न सूची में अपने-अपने जनपद/इकाई में नियुक्त कार्मिकों के नाम एवं पीएनओ नम्बर का भली भाँति परीक्षण कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो उससे इस मुख्यालय को अभिलेखों की पुष्टि हेतु सूचना प्रेषित करें, ताकि वरिष्ठता सूची में इसे अद्यावधिक किया जा सके।
5. जैसा कि आप सभी अवगत है कि उ0प्र0 शासन की अपेक्षा के अनुरूप प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना है।
6. अतएव आप सभी से अनुरोध है कि निर्गत किये जा रहे दिशा निर्देश एवं चेक लिस्ट के अनुसार अपने पर्यवेक्षण में अपेक्षित कार्यवाही दिनांक 31.03.2024 तक प्रत्येकदशा में पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे समस्त सूचनायें एवं अभिलेख मांगे जाने पर अल्प अवधि में इस मुख्यालय को उपलब्ध हो सके।

संलग्नक:-

- 1-नवीन बोर्ड प्रपत्र-16 का प्रारूप।
- 2-बोर्ड प्रपत्र-16 भरने के संबंध में दिशा-निर्देश
- 3-संलग्नक की चेक लिस्ट

Re send to 31-3-24

(सुरेन्द्र नाथ तिवारी)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2.जनरल स्टाफ आफिसर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

महत्वपूर्ण-“बोर्ड प्रपत्र-16 को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाये।
बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में निर्देश

कालम

1	इस कालम में क0सं0 अंकित की जायेगी। कम संख्या आरोही कम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित अन्तिम ज्येष्ठता सूची का कमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम को रिक्त रखा जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 नम्बर अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरण पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा)
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्म तिथि अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में सेवाभिलेखों के अनुसार अभ्यर्थी के पोशक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि अंकित की जायेगी।
12	इस कालम में सेवा अवधि का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई 01-07-2024 को अभ्यर्थी की पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा)पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर चयन वर्ष 2024-25 के लिए कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी तथा वर्ष, माह एवं दिन अंकित किया जायेगा।
13	
14	
15	इस कालम में भर्ती/रिक्ति का वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) के वार्षिक मन्तव्यों का वर्ष, अवधि एवं वार्षिक मन्तव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। 05 वर्ष तक के गोपनीय मन्तव्य पूर्ण होने चाहिए किसी भी वर्ष में “अंकित नहीं” का उल्लेख स्वीकार नहीं होगा। उदाहरणार्थ:- यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2019 का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2019 01-01-2019 से 30-04-2019 अति उत्तम 01-05-2019 से 31-12-2019 अच्छा
16	
17	
18	
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
21	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित अंकित किया जायेगा। जैसे लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत
22	इस कालम में चयन वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023) भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा का निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित, अथवा रोकी गई। “अंकित नहीं” का उल्लेख स्वीकार नहीं होगा।
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित अंकित की जायेगी। जैसे लम्बित, अस्वीकृत, स्वीकृत
26	इस कालम में दीर्घ दण्ड से सम्बन्धित दण्डादेश संख्या अंकित किया जायेगा।
27	इस कालम में दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।

28	इस कालम में दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इस कालम में दण्डादेश की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे सेवा से पदच्युत करना, सेवा से हटाना, तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति आदि
30	इस कालम में लघु दण्ड से सम्बन्धित दण्डादेश संख्या अंकित किया जायेगा।
31	इस कालम में दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
32	इस कालम में दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
33	इस कालम में दण्डादेश की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि, अस्थाई रूप से कितनी अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी गयी आदि
34	इस कालम में पूर्व में किस-किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। इस कालम में गलत सूचना का अंकन नहीं करना है, यदि जनपद/इकाई के पास सूचना उपलब्ध न हो तो इस कालम को रिक्त रखा जायेगा तथा चरित्र पंजिका लिपिक द्वारा सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराते समय स्थापना शाखा के अनुभाग-18 में सम्बन्धित सहायक से समन्वय स्थापित कर सही-सही सूचना का अंकन किया जायेगा।
35	इस कालम में निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-242/2019 दिनांक 25-08-2019
36	इस कालम में निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
37	इस कालम में अभ्यर्थी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
38	इस कालम में मुकदमा अपराध संख्या, धारा, थाना, जनपद अंकित जायेगा। उदाहरणार्थ- मु0अ0सं0-545/2004 धारा 223/224 भा0द0वि0 थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ नगर
39	इस कालम में आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
40	इस कालम में अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि माननीय न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया गया जायेगा। उदाहरणार्थ-वाद माननीय न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहाँ एस0टी0 नम्बर-544/1998 पर विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 15-04-2024 नियत है।
41	इस कालम में नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही जाँच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे विभागीय, सीबीसीआईडी, सीबीआई, एसीओ आदि
42	इस कालम में आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ-अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
43	इस कालम में अभ्यर्थी को नियम 14(1) की विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
44	इस कालम में अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय, अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)
45	इस कालम में अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय, अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक
46	इस कालम में स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना
47	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।
48	इस कालम में जिन कार्मिकों का पूर्व चयन वर्ष में संस्तुति मुहरबन्द लिफाफा में रखी गयी है का विवरण चयन वर्ष सहित अंकित किया जायेगा। उदाहरण:- चयन वर्ष 2015 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफा

सामान्य निर्देश

- 1- प्रत्येक कालम में स्पष्ट रूप से सूचना भरी जायेगी। यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जायेगा।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kurti Dev 010 फॉन्ट में ही तैयार की जायेगी।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Line/Cells को Merge न किया जाये।
- 4- एक ही Cells में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।
- 5- उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्ग दर्शन हेतु हैं।
- 6- एक पृष्ठ पर एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जायेगी।
- 7- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8- विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राइटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकाएं/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9- कर्मियों के विरुद्ध अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों से स्वघोषित घोषणा पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा पत्र में अंकित करा लिया जाय। स्वघोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 10- यदि स्वघोषणा पत्र में सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र के निर्धारित कालम में किया जायेगा।
- 11- जिन कार्मिकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, सम्बन्धित कालम में मु0अ0सं0, धारा, थाना एवं जनपद का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये तथा आरोप पत्र संख्या व माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक व माननीय न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि का सम्बन्धित कालम में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- 12- सम्बन्धित कार्मिकों की चरित्र पंजिका में निलम्बन के पेज को चेक कर लिया जाये तथा निलम्बन अवधि का निस्तारण कराकर उसका अंकन तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा किया जाये तथा चरित्र पंजिका में अंकित टिप्पणी को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- 13- जिन कार्मिकों की चरित्र पंजिका से दण्डादेश विलोपित किये गये हैं, चरित्र पंजिका के सम्बन्धित पेज पर अंकन कर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा दण्ड विलोपित किये जाने के आदेश की प्रति चस्पा किया जाये।

संलग्नक की चेक लिस्ट

- नोट:- निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी जाये:-
- 1- अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मों का नाम/पीएनओ नम्बर/ तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या-39 में किया जाय।
 - 2- विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
 - 3- दण्डादेश के विरुद्ध प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
 - 4- बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।
 - 5- यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मों के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
 - 6- कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
 - 7- विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मों को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मों को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किये जाये।
 - 8- विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल-फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
 - 9- प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या-19, 20, 21 में किया जाये।
 - 10- यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।
 - 11- यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि प्रचलित जाँच के चलते प्रविष्टि आस्थगित (Defer) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति को संस्तुति सहित समक्ष अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
 - 12- कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-4/2022/13(4)2021/का-1-2022 दिनांक 06-05-2022 के प्रस्तर 6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने की पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

प्रारूप (क) स्वघोषणा पत्र

मैं शपथ कर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ).....

.....पुत्र श्री.....

निवासी ग्राम-.....थाना.....जनपद.....

वर्तमान में (जनपद/इकाई).....में नियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

(1) मेरे विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई.....में विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक.....को आरोप पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0.....धारा.....थाना.....जनपद.....में लम्बित है, जिसमें दिनांक.....को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सीद्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेशित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान मेंस्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पीएनओ.....

नियुक्ति स्थान एवं दिनांक.....

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर (1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

बोर्ड पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) की सूची

	नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	मर्ती तिथि	गृह जनपद	ASI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	SI(Lekha) पद पर पदोन्नति की तिथि	टिप्पणी	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	892511400	अनन्त सिंह	हरदेव सिंह	KHI	02-09-67	30-01-89	लखनऊ	16-04-93	31-03-16	
2	912060013	संजय कुमार नाग	नरेन्द्र नाथ नाग	KHI	03-12-67	07-02-91	लखनऊ	16-04-93	31-03-16	
3	910490247	जय नारायण पाण्डेय	विजय बहादुर पाण्डेय	MAU	05-03-68	08-02-91	देवरिया	16-04-93	31-03-16	
4	920640759	संजय कुमार यादव	सत्य नारायण यादव	JNR	01-01-73	16-06-92	बलिया	30-11-96	31-03-16	
5	922230080	उर्मिला देवी	गंधर्व सिंह	37 BN	20-07-66	07-09-92	फर्रुखाबाद	30-11-96	31-03-16	
6	930240011	सुमन कुमारी	विनोद कुमार	41 BN	15-08-70	27-05-93	शामली	01-12-94	31-03-16	
7	932610054	सुमन सिंह	रविन्द्र कुमार सिंह	STR	03-05-68	06-06-93	रायबरेली	15-01-98	31-03-16	
8	940780026	राजेश कुमार श्रीवास्तव	दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव	PHQ LKW	10-01-71	17-10-94	मिर्जापुर	15-01-98	31-03-16	
9	940220012	सुनील कुमार शर्मा	बृजनन्दन शर्मा	AGA ZONE	26-09-72	19-12-94	एटा	08-04-96	31-03-16	
10	951000018	अबुलैश अहमद	शेख कली मुल्लाह	APTS	01-07-75	19-04-95	गाजीपुर	01-12-98	31-03-16	
11	952532358	सुधीर कुमार	सोबरन सिंह यादव	38 BN	10-12-73	28-04-95	एटा	15-01-98	31-03-16	
12	950500013	सतीश कुमार	राय सिंह	MTA	15-08-75	06-05-95	एटा	01-12-98	31-03-16	
13	952330369	राजवीर सिंह	कंचन सिंह	SMI	20-08-74	03-06-95	बुलन्दशहर	01-12-98	31-03-16	
14	952120753	रजनी शर्मा	केदारी लाल शर्मा	23 BN	01-06-68	05-06-95	पीलीभीत	15-01-98	31-03-16	
15	952671701	सुनील कुमार दीक्षित	उमाशंकर दीक्षित	11 BN	10-08-64	05-09-95	बरेली	01-12-98	31-03-16	
16	952540799	राकेश कुमार त्यागी	धर्मपाल सिंह त्यागी	SAMBHAL	02-08-65	05-09-95	सहारनपुर	01-12-98	31-03-16	
17	952290649	श्रीमती रेखा शर्मा	कृष्ण कुमार	47 BN	15-07-74	06-09-95	बुलन्दशहर	01-12-98	30-07-16	
18	952512721	महेन्द्र कुमार वर्मा	देवेन्द्र सिंह	GRP AGA	09-01-69	07-09-95	बुलन्दशहर	01-12-98	31-03-16	
19	950540016	अजय कुमार	बृजराज सिंह	PBT	05-01-76	07-09-95	बदायूं	01-12-98	31-03-16	
20	950450535	राजीव कुमार मिश्रा	शिव लखन मिश्र	RHQ	12-05-77	08-09-95	प्रतापगढ़	01-12-98	31-03-16	
21	952391847	मनोज कुमार तिवारी	सत्य नारायण तिवारी	KNC	01-04-73	15-09-95	बौदा	01-12-98	31-03-16	
22	950140014	सुरेश कुमार मौर्य	राम भवन मौर्य	FZD DANCE	05-03-74	30-09-95	गोरखपुर	01-12-98	31-03-16	
23	962690048	आनन्द कुमार मिश्र	रमाकान्त मिश्र	GZR	31-05-74	15-01-96	मीरजापुर	01-12-98	31-03-16	
24	962490039	राजकुमार	धर्मवीर सिंह	GZB	01-04-74	17-01-96	अलीगढ़	01-12-98	31-03-16	
25	961020042	सुखवीर सिंह	रामवीर सिंह	KASGANJ	15-07-76	18-01-96	फिरोजाबाद	01-12-98	31-03-16	
26	962140149	ओमवीर सिंह	बनी सिंह	HPR	12-08-75	19-01-96	सहारनपुर	01-12-98	31-03-16	
27	961020068	सरिता देवी	अमरजीत प्रसाद	BBK	05-01-71	05-02-96	मऊ	01-12-98	31-03-16	
28	962020030	अजय कुमार शर्मा	हर स्वरूप शर्मा	FRZ	01-08-74	02-03-96	मथुरा	01-12-98	31-03-16	
29	962410321	अवधेश कुमार	नरेन्द्र कुमार	UAO	01-09-74	19-03-96	औरैया	01-12-98	31-03-16	
30	960540022	शशिबाला	रामपाल सिंह	BRY	05-01-66	26-04-96	मुरादाबाद	01-12-98	31-03-16	
31	962110074	मीरा मिश्रा	बैजनाथ मिश्रा	35 BN	01-05-67	27-04-96	अम्बेडकरनगर	01-12-98	31-03-16	
32	962530108	कविता त्यागी	ब्रह्मपाल सिंह त्यागी	MRT	01-07-75	27-04-96	बिजनौर	01-12-98	31-03-16	
33	960780019	इफतेखार अहमद	मुख्तार अहमद	JSI	19-09-77	21-11-96	हमीरपुर	08-05-06	31-03-16	
34	962230082	साधना सिंह	नरेश सिंह	MPI	13-02-73	23-11-96	फिरोजाबाद	01-12-98	31-03-16	
35	962670062	विजय प्रताप सिंह	राजेन्द्र सिंह	AMROHA	29-01-76	23-11-96	बरेली	08-05-06	31-03-16	
36	962480096	सुधा देवी	रामबाबू अवस्थी	JSI	01-05-76	26-11-96	कानपुरदेहात	08-05-06	31-03-16	
37	872200094	विजय कुमार निगम	वृज विहारी लाल निगम	GZB	01-02-65	25-05-87	बौदा	31-08-87	25-12-16	
38	870620344	लाल बचन सिंह	गुनेश्वर सिंह	BBK	15-07-65	28-11-87	कुशीनगर	28-11-87	21-06-18	
39	882080275	सुशील कुमार श्रीवास्तव	पटेश्वर प्रसाद	BRH	05-08-64	16-04-88	प्रतापगढ़	31-10-89	21-06-18	
40	902550463	सुशील कुमार तोमर	महेन्द्र पाल सिंह	49 BN	18-06-71	27-06-90	अलीगढ़	16-04-93	21-06-18	

	श्रीमती मंजू देवी शर्मा	मदन गोपाल शर्मा	45 B.N	25-09-66	06-07-92	आगरा	30-11-96	21-06-18	
87	शेर बहादुर शर्मा	रघु महादेव शर्मा	EWI	16-12-68	21-10-94	उन्नाव	15-01-98	21-06-18	
207	इय्याम लाल यादव	रघु रामधारी यादव	BLA	25-12-70	13-09-95	घन्सीली	01-12-98	21-06-18	
20013	मीठू साईद	रघु मीठू साफी खाँ	PHQ LKW	07-07-65	20-06-96	प्रतापगढ़	20-06-96	21-06-18	
2400027	शिव कुमार सोमर	रघु अजयवीर सिंह	COMM AGA	18-08-75	19-11-96	बदायूँ	08-05-06	21-06-18	

क्र.सं.	विवरण
1	कठ सं०
2	प्रवेशिका सूची का क्रमांक
3	पाठ्यता सूची का क्रमांक
4	वि०एन० और गे०
5	कमी का नाम
6	पिता का नाम
7	डीआर
8	सर्वोच्च शिक्षण संस्थान
9	जन्मदिनांक / जन्मस्थान
10	पेशावर / अनुमान
11	अनुभव
12	चौकट पर परीक्षा की तिथि
13	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
14	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
15	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
16	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
17	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
18	संग्रहित प्रश्नों की संख्या
19	प्रतिकूल प्रत्यक्ष को संशुद्धित करने की तिथि
20	प्रत्यावेदन- अपील प्राप्त होने की तिथि
21	प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित
22	साधनार्था प्रमाण-पत्र
23	अग्रगणित साधनार्था संशुद्धित करने का दि०
24	अग्रगणित साधनार्था के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने की तिथि
25	प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित
26	दण्डादेश की सं०
27	दण्डादेश का दि०
28	दण्डादेश संशुद्धित करने का दिनांक
29	दण्ड की प्रकृति (सेवा से परहयुक्त करना, सेवा से हटाया तथा पक्षिभूत करना जिसके अनुरोध मिलांतर वेतनमान या समवर्तमान मान में निम्न प्रकार पर अवरोधि)
30	दण्डादेश की सं०
31	दण्डादेश का दि०
32	दण्डादेश संशुद्धित करने का दिनांक
33	दण्ड की प्रकृति (परिनिष्ठा प्रतिष्ठि/अर्थदण्ड/अवस्थाएं रूप से किलनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने एवं ई)
34	पूर्व में किंत-किंत घबन एवं के साथै सम्बंधित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है।
35	निलम्बन आदेश संख्या/दि०
36	निलम्बन का कारण(अधिकतम 20 शब्दों में)
37	बहाली आदेश संख्या, दिनांक
38	अपराध सं०/कारण/वर्ष/भागा/जनपद
39	आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दि०
40	अभिधीय की अध्वान रिपोर्ट एवं न्यायालय का निर्णय व दि०
41	औष संगणन का माप
42	आरोप का सखिया विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में)
43	कार्मिक के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक
44	आदेश का सखिया विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)
45	परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवार में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक
46	स्वास्थ्यपत्र एवं तत्पर्य रूप से प्रयोग्य कार्मिक के माप का पाठ्यता सूची में सम्बंधित दिनांक
47	विभागीय कार्य संबंधित के द्वारा अतिरिक्त किया जायेगा
48	अन्य कार्मिकों का पूर्व घबन एवं में सम्बंधित मुख्यत्व विकास से रखी जाती है का विवरण